कानपुर नगर निगम

मा0 नगर निगम (सदन) की सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 16.02.13 (शनिवार)

पूर्वान्ह 11—00 बजे

स्थानः नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/330 /सचिव (न.नि.)/12—13

दिनांक : 21.02-13

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री...,

पार्षद वार्ड सं0........./पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 16.02.13 को सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 28 तक।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 16.02.2013 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय मोतीझील स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u>

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर / अध्यक्ष**	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद / सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य	श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद / सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद / सदस्य	श्री संजय लाल बाथम	पार्षद / सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद / सदस्य	श्री हरिशचन्द्र	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीना	पार्षद / सदस्य	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
श्री बीरबल	पार्षद / सदस्य	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद / सदस्य	श्रीमती जोहरा खातून	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद / सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद / सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता	पार्षद / सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद / सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद / सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद / सदस्य	श्री प्रमोद पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	श्रीमती उत्तम	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य	श्री रामकुमार पाल	पार्षद / सदस्य

ह0......महापौर

श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद / सदस्य	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद / सदस्य	श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद / सदस्य	श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य	डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री सलीम बेग	पार्षद / सदस्य	श्री राम औतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	डॉ0 नीना अवस्थी	पार्षद / सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य	श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद / सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद / सदस्य	श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद / सदस्य	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य	श्री विनय अग्रवाल	पार्षद / सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद / सदस्य	श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद / सदस्य	श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	पार्षद / सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य	श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य	श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य

ह0......महापौर

श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्री सुशील तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य
श्री रमापति झुनझुनवाला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 वसी	पार्षद / सदस्य

<u>पदेन सदस्य</u>

श्री राजाराम पाल	मा0 सदस्य लोक सभा
श्री जागेन्द्र स्वरूप	मा0 सदस्य विधान परिषद

ह0......महापौर

<u>अधिकारी गण</u>

श्री एन0 के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
डॉ0 एल0के0तिवारी	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी चि0
श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता
श्री आर0एम0अस्थाना	मुख्य अभियंता वि0/यॉ0
श्री पंकज भूषण	पर्यावरण अभियंता
श्री अम्बरीश यादव	सहायक निदेशक सी0सी0
श्री के0 एस0 अवस्थी	उप नगर आयुक्त
श्री बी0 के0 द्विवेदी	उप नगर आयुक्त
श्री मनोज श्रीवास्तव	उप नगर आयुक्त

राष्ट्रगीत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जो कोरम के अभाव में 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी गई।

....

स्थगन अवधि के पश्चात् सभापति ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

तद्नुक्रम में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' ने सभी सदस्यों से दिनांक–16.01.2013 को कार्यकारिणी समिति द्वारा अग्रसारित किये गये कार्यसूची में उल्लिखित प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करने का अनुरोध किया।

ह0......महापौर

श्री जगेन्द्र स्वरूप पदेन सदस्य ने सभापति से कहा कि आप तो मा0 लोकसभा के दो बार सदस्य भी रह चुके है, आप ही बतावे कि आहूत विशेष बजट की बैठक में बजट की प्रति तत्काल वितरित कराई जा रही है, पर कैसे विचार किया जा सकता है। इसे एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रेषित किया जाना चाहिये था जिससे इस पर सम्यक विचार सम्भव होता।

सभापति ने कहा कि श्री जागेन्द्र स्वरूप का सुझाव अच्छा है, भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि पुनरीक्षित बजट जो माह सितम्बर या अक्टूबर में आना चाहिये, उसे अब प्रस्तुत किया जा रहा है इसका कोई औचित्य नही है, फिर भी औपचारिकता के रूप से इसे स्वीकृत मान लिया जाये।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि सभी सदस्यों को सर्वप्रथम अपने–अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये समय दिया जाना चाहिये तत्पश्चात् कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

सभापति ने नगर आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित बजट पर मदवार अपने विचार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त द्वारा मा0 सभापति, सदस्यों एवं पत्रकार बन्धुओं का स्वागत करते हुये कहा कि चूँकि मूल बजट अनुमानित होता है, उसके मदवार व्ययों में वृद्धि एवं कमी हो जाने के फलस्वरूप ही पुनरीक्षित बजट तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित बजट, जो मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कर सदन को अग्रसारित किया गया है, आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसे स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें ताकि तदानुसार क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जा सकें। विकास कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम ने अन्तिम अवशेष एवं अपनी आय के श्रोतों में बढ़ोत्तरी करते हुये व्यय में कटौती प्रस्तावित की है। प्राप्तियों एवं व्यय के मदों को विस्तृत रूप से वितरित की गई पुनरीक्षित बजट की पुस्तिका में उल्लेख किया गया है। विकास कार्यो हेतु सभी खण्डों से क्षेत्रवार प्रेषित व्ययानुमानों को स्वीकृत किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट में परिलक्षित होगा । मूल बजट 2013–14 को मा0 सभापति एवं सदस्यों के विचार–विमर्श उपरान्त ही नगर निगम द्वारा मा0 कार्यकारिणी/सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि जे.एन.यू.आर.एम. के कार्यो में अनियमितता बरती जा रही है, जनता का धन बर्बाद किया जा रहा है। शहर में जगह–जगह सड़कें खुदी पड़ी है, इस पर विचार किया जाना चाहिये।

ह0......महापौर

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2008 में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यो के प्रस्ताव तैयार किये गये थे, उक्त कार्यो की जॉच हेतु शासन स्तर से तीन सदस्यों की समिति गठित की गई है तथा समय–समय पर शासन द्वारा लेखों का परीक्षण भी किया जाता है। इसी के साथ मा0 सदन से पुनरीक्षित बजट 2012–13 को स्वीकृत प्रदान करने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव संख्या–26

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई विशेष बैठक के प्रस्ताव सं0 41 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर निगम कानपुर
पुनरीक्षित बजट
2012–13
आय

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	मद शीर्षक आयगत प्राप्तियॉ	मूल बजट 2012–13	पुनरीक्षित बजट 2012–13
01	करों से आय	8,826.35	8,826.35
02	नगर निगम की सम्पत्तियों के किराये व अन्य शुल्क से आय	3,231.66	3,344.91
03	अनुदान एवं अंशदान	21,055.00	23,155.00
04	ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियॉ	451.00	451.00
05	विविध प्राप्तियॉ	58.40	69.20
	योग आयगत प्राप्तियॉ	**33,622.41**	**35,846.46**
	पूॅजीगत प्राप्तियॉ		

ह0......महापौर

06	पूँजी लेखागत प्राप्तियॉं	6,391.05	7,990.05
07	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्राप्तियॉं (केन्द्रीय, राजकीय अंशदान एवं बैंक ब्याज)	25,343.79	25,368.79
08	शासन द्वारा प्राप्त ऋण	12,312.97	12,312.97
09	अग्रिम व अन्य अस्थाई देयतायें	4.00	4.00
	योग पूँजीगत प्राप्तियॉं	**44,051.81**	**45,675.81**
	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 रिजर्व फण्ड		
10	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	64,262.69	64,262.69
11	निकाय अंश	12,413.23	12,413.23
	योग रिजर्व फण्ड	**76,675.92**	**76,675.92**
	योग कुल आयगत + पूँजीगत + रिजर्व	**154,350.14**	**158,198.19**
	प्रारम्भिक शेष	**16,542.95**	**16,542.95**
	महायोग	**170,893.09**	**174,741.14**

व्यय

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	मद शीर्षक	मूल बजट 2012—13	पुनरीक्षित बजट 2012—13
	वेतन, भत्ते, नकदीकरण, पेंशन, प्रतिपूर्ति आदि		
	अधिकारीगण / कर्मचारीगण	27,745.00	24,955.00
	कुल वेतन	**27,745.00**	**24,955.00**
	विकास कार्यो पर व्यय		
	नगर विकास व अनुरक्षण	2,960.00	4,285.00

ह0......महापौर

	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	280.00	280.00
	सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा	1,580.00	2,130.00
	सार्वजनिक निर्माण	6,110.00	6,110.00
	शिक्षा	15.50	25.50
	प्रशासनिक व्यय	1,072.50	1,072.50
	कुल विकास कार्यो पर व्यय	**12,018.00**	**13,903.00**
	कुल नगर निगम निधि पर व्यय	**39,763.00**	**38,858.00**
	पूँजीगत व्यय		
	पूँजीगत व्यय	6,666.00	7,560.00
	लेनदारियॉ/उचन्त लेखागत व्यय	401.32	401.32
	स्थाई सम्पत्ति	926.00	1,171.00
	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 व्यय		
	रिजर्व फण्ड के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	64,262.69	64,262.69
	निकाय अंश का हस्तान्तरण	12,413.23	12,413.23
	कार्यदायी संस्थाओं को अग्रिम	38,476.42	38,476.42
	कुल पूँजीगत एवं जे0एन0एन0यू0आर0एम0 व्यय	**123,145.66**	**124,284.66**
	योग कुल व्यय	**162,908.66**	**163,142.66**
	अन्तिम अवशेष	**7,984.43**	**11,598.48**
	महायोग	**170,893.09**	**174,741.14**

.... सर्वसम्मति से पुनरीक्षित बजट में आय के पक्ष में रू0 1,58,198.19 लाख के साथ प्रारम्भिक अवशेष रू0 16,542.95 लाख कुल रू0 1,74,741.14 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 1,63,142.66, अन्तिम अवशेष रू0 11,598.48 के साथ कुल रू0 1,74,741.14 लाख की दर्शाई गई धनराशि को स्वीकृत प्रदान की गई।

ह0......महापौर

श्री चेतन चौहान एवं कुछ सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये सभापति से अनुरोध किया।

सभापति ने सदन में उपस्थित सांसद एवं विधायक का ध्यान रखते हुये सदस्यों से सदन की गरिमा बनाये रखने को कहा। साथ ही अवगत कराया कि कार्यसूची में उल्लिखित प्रस्तावों के पश्चात् समस्याओं पर चर्चा कराई जायेगी। निरन्तर समस्याओं का समाधान कराया जाता है, एक समस्या के समाधान के पश्चात् दूसरी समस्या उत्पन्न होती है, यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

प्रस्ताव संख्या–27

शासन से प्राप्त शासनादेश संख्या–1651 / 18–2–12–47(एस0पी0) / 10

प्रेषक,

विजय कान्त दुबे
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लघु उद्योग अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक 24 दिसम्बर, 2012**

विषयः– उ0प्र0 सचिवालय के इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी / वर्दी नवीनीकरण / वर्दी धुलाई भत्ते के पूनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति की संस्तुतियो (2008) के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या –2293 एल / 18–7–93–25 (जी–1) / 93 दिनांक 27.10.93 एवं शासनादेश संख्या–313 / 18–7

ह0......महापौर

–95–25 (जी–1)/95 दिनांक 28.फरवरी. 1995, शासनादेश संख्या–1501/18–5–2002–21 (जी–1)/85 दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 एवं शासनादेश संख्या–1142/18–5–05–21 (जी–1)/85 दिनांक 25 नवम्बर, 2005 को ऑशिक रूप से शंसोधित/अतिक्रमित करते हुये उ0प्र0 सचिवालय से इतर राजकीय विभागो के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो एवं राजकीय वाहन चालकों को प्रस्तर –''क'' में अंकित धनराशि की सीमा के अधीन प्रस्तर –''ख'' में अंकित ग्रीष्म कालीन वर्दी तथा वर्दी धुलाई भत्ता निम्नानुसार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रस्तर–''क''

(अ)वर्दी की दरें

क्रम संख्या	मद का नाम	पूर्व निर्धारित धनराशि की सीमा	वर्तमान धनराशि की सीमा
1	2	3	4
1	ग्रीष्म कालीन वर्दी हेतु	340.00	680.00
2	शीत कालीन वर्दी	655.00	1310
3	जूता	82.00	164.00
4	कम्बल	100.00	200.00
5	छाता	48.00	96.00

(ब)वर्दी धुलाई भत्ते की दरें

पद नाम	पूर्व दरें	वर्तमान दरें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	40
वाहन चालक	30	60

ह0......महापौर

प्रस्तर–ख

(अ)चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मियों के लियें

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैण्ट टेरीकाट (शुटिंग कपड़े में)	प्रत्येक 04 वर्षो में एक बार
	04 बुसर्ट पूरी बॉह– टेरीकाट (शुटिंग कपड़े में)	
	साफा 18 मीटर (सूती कपड़े में) जिन्हें पूर्व में साफा अनुमन्य था।	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षो में एक बार
	01ऊनी पैण्ट	
	01 ऊनी कम्बल	

(ब)चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों के लियें

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 साड़ी टेरीकाट	प्रति वर्ष
	02 ब्लाउज टेरीकाट	
	02 पेटीकोट सूती	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षो में एक बार
	01 ऊनी कम्बल	

(स) वाहन चालको के लियें

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैण्ट टेरीकाट (शुटिंग कपड़े में)	प्रत्येक 04 वर्षो में एक बार
	04 बुसर्ट पूरी बॉह– टेरीकाट (शुटिंग कपड़े में)	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षो में एक बार
	01ऊनी पैण्ट	

ह0......महापौर

	01 ऊनी कम्बल	
	01 जोड़ी जूता/मोजा	प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार
	छाता	प्रत्येक 05 वर्ष में।

(द)वर्दी धुलाई भत्ते की दरें

पद नाम	पूर्व दरें	वर्तमान दरें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	40
वाहन चालक	30	60

2– सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी के किन–किन कर्मचारियों की वर्दी अनु होगी उसका विवरण निम्नानुसार है– मौलिक रूप से नियुक्त एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त स्थाई जमादार, अर्दली,दफ्तरी, पत्र वाहक, कार्यालय चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के उन्ही कर्मिको को साफा दिया जायेगा जिन्हें पूर्व में साफा उपलब्ध था । विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष अधिकारियों के साथ सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों व जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यात्मक आधार पर परीक्षण कर केवल चिन्हित कर्मिको को ही साफा उपलब्ध कराया जाये।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–6–466/2012, दिनांक 13 दिसम्बर,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– उक्त आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से लागू माने जायेगें।

भवदीय,
ह0..अपठनीय
(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव

ह0......महापौर

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 व 2 (3–3 प्रतियों में)
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अुनभाग–6 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0..अपठनीय
(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–28

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 46 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना:

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के लिये प्रधानाध्यापिका, सहायक अध्यापिका, प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड एवं सहायक अध्यापिका सी0टी0 ग्रेड नर्सरी के पद सृजित है। इन पदों

ह0......महापौर

पर वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 03.11.12 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से छठवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाना है।

कमांक	पदनाम	दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतनमान एवं ग्रेड पे
01	प्रधानाध्यापिका	9300–34800, ग्रेड पे 4800/–
02	सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड	9300–34800, ग्रेड पे 4600/–
03	सहायक अध्यापिका सी0टी0ग्रेड नर्सरी	9300–34800, ग्रेड पे 4200/–

अतः दिनांक 01.01.2006 से शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की व्यवस्था के अनुमोदन हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–29

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 47 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

जोन–1

दुकान का स्थल	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
कोतवाली के पीछे	20.07	22.72	456.16	रू0 375.00	7526	3763

ह0......महापौर

क्राइस्टचर्च कालेज के पीछे	10.45	60.55	632.83	रू0 375.00	3761	1880
मूलगंज मीट शाप	10.03	01.69	16.94	रू0 375.00	3761	1880
नवीन मार्केट छोटी दुकान	07.34	14.73	108.16	रू0 425.00	3119	1559
नवीन मार्केट बड़ी दुकान	13.96	37.76	527.25	रू0 425.00	5933	2966
नवीन मार्केट (फ्लैट व छते)	136.70	16.45	2250	रू0 425.00	58097	29048
अमीर चन्द्र मेहरा पार्क	13.43	25.20	338.50	रू0 375.00	5036	2518
सरसैया घाट	05.11	4.97	25.41	रू0 375.00	1916	958
रोटी गोदाम मीट शाप	08.95	01.91	17.15	रू0 375.00	3356	1678
नील वाली गली	24.53	02.32	57.09	रू0 375.00	9198	4599
भगत सिंह मार्केट	10.35	18.53	191.86	रू0 330.00	3415	1707
नया गंज दालमण्डी	13.01	06.23	81.08	रू0 400.00	5204	2602
हटिया मार्केट	09.61	09.49	91.21	रू0 375.00	3603	1801
घण्टाघर	22.76	02.40	54.75	रू0 400.00	9104	4552
मरे क्रासिंग शाप	07.43	16.10	119.66	रू0 400.00	2972	1486

ह0......महापौर

हमीरपुर रोड लक्ष्मलीपुरवा	15.61	05.82	91	रू0 350.00	5463	2731
इस्लामियां आर्ट स्कूल	06.69	02.04	13.66	रू0 375.00	2508	1254
कलेक्टरगंज हालसी रोड गुड़मण्डी	11	08.75	96.25	रू0 400.00	4400	2200

जोन–3

दुकान का स्थल	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
अली जहीर मार्केट किदवई नगर	13.94	3.34	रू0 54.00	रू0 275.00	3833.50	रू0 1917.00
न्यू लेबर कालोनी बाबूपुरवा	11.15	2.51	रू0 28.00	रू0 165.00	1839.75	रू 920.00
मुन्शी पुरवा	11.15	2.51	रू0 28.00	रू0 165.00	1839.75	रू 920.00

ह0......महापौर

<u>जोन–6</u>

दुकान का स्थल	दुकानो की ⁄फ्लैटो की संख्या	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
शास्त्री नगर ए –ब्लाक	20 दुकानें	15.79	3.16	50.00	275.00	4342.00	2171.00
शास्त्री नगर ए –ब्लाक	10 फ्लैट(दुकानों के ऊपर)	148.69	0.30	46.00	183.00	27210.00	13605.00
शास्त्री नगर बी –ब्लाक	10 दुकानें ए–2 दुकानें बी–8 दुकानें	 21.84 18.58	 2.28 2.69	 50.00 50.00	 275.00 275.00	 6006.00 5110.00	 3003.00 2555.00
शास्त्री नगर बी –ब्लाक(छैया होटल)	10 कमरें (दुकानों के ऊपर)	18.58	2.74	51.00	183.00	3400.00	1700.00
पुरानी दुकानें शास्त्री नगर	10 दुकानें	20.07	2.29	46.00	275.00	5520.00	2760.00
पुरानी गल्ला मण्डी शास्त्री नगर	21 दुकानें	20.07	6.62	133.00	275.00	5520.00	2760.00
गीता बाजार	(दुकानों के ऊपर						

ह0......महापौर

शास्त्री नगर	निर्मित)						
	ए–10 दुकानें	16.72	2.99	50.00	275.00	4598.00	2299.00
	बी–5 फ्लैट	33.45	0.98	33.00	275.00	9198.00	4599.00

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि दुकानों के किरायों में जो वृद्धि की जा रही है, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि नवीन मार्केट स्थित नगर निगम की दुकानों में भूमिगत निर्माण करके पार्किंग बनाई गई है तथा वी.पी. श्रीवास्तव मार्केट में दुकानदारों द्वारा अपने ढंग से बेसमेन्ट तैयार किया गया है, क्या इसे भी किराये में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार द्वारा अवगत कराया गया कि शास्त्री नगर की 21 दुकानें, जिनके आवंटन हेतु पूर्व में लोगों द्वारा नगर निगम में धनराशि भी जमा कराई गई थी, उनमें से कुछ दुकानों में लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है इसके सम्बन्ध में भी अवगत कराया जाये।

अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' ने कहा कि दुकानें जिन लोगों को आवंटित है, उनकों ही उसका लाभ मिलेगा।

सभापति ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण हटाकर आवंटियों को कब्जा दिलाया जायेगा तथा भूमिगत पार्किंग एवं अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जायेगा।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–30</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 73 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

<u>प्रस्ताव</u>

जोन– 3 किदवई नगर सीमान्तर्गत वार्ड 96 स्थित बी0एन0भल्ला चिकित्सालय परिसर के पीछे लगभग 2340 वर्ग मीटर की भूमि रिक्त हैजिसमें जोन–3 का जोनल कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है। सहमति की दशा में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

ह0......महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–31</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 74 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

विषयः– वार्ड 36 स्थित पहाड़पुर चुंगी के पास नगर निगम की रिक्त भूमि पर रैन बसेरा के निर्माण के सम्बन्ध मे।

<u>प्रस्ताव</u>

जोन–3 किदवई नगर सीमान्तर्गत वार्ड 36 स्थित पहाड़पुर चुंगी के पास नगर निगम की भूमि रिक्त पड़ी हुई है जिसमें रैन वसेरा निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है जिसमें दो कमरें 12X12 , एक हाल, 2 शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।

सहमति की दशा में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–32</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 77 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

विषयः– <u>जोन–1 वार्ड 85 के अन्तर्गत कोपरगंज चौराहा स्थित तिलहन मार्केट के स्थल पर व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण।</u>

<u>प्रस्ताव</u>

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अनर्तगत वार्ड –85 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति **तिलहन मार्केट** के रूप में स्थापित है। इस स्थल पर वर्तमान में टिन शेड एवं ईंट खड़न्जे की फर्श पर है। उक्त स्थल पर नगर निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 300.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये उक्त स्थल को **व्यवसायिक केन्द्र** के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप

ह0......महापौर

स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–33</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 78 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

विषयः– <u>जोन–1 वार्ड– 109 के अन्तर्गत कोपरगंज चुंगी स्थल पर नये व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण।</u>

<u>प्रस्ताव</u>

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड –109 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति कोपर गंज चुंगी स्थल के रूप में कोपर गंज तिराहे पर स्थापित है, जिसकी वर्तमान स्थिति जर्जर है। उक्त स्थल पर नगर निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 450.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये पुराने भवन को तोड़कर उक्त स्थल को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–34</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 79 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

विषयः– <u>जोन–1 वार्ड 109 के अर्न्तगत धनकुट्टी डिस्पेन्सरी के जीर्णशीर्ण भवन स्थल पर सामुदायिक केन्द्र/ व्यवसायिक केन्द्र का नर्माण।</u>

<u>प्रस्ताव</u>

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अनर्तगत वार्ड –109 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति **<u>धनकुट्टी डिस्पेन्सरी</u>** के रूप में स्थापित है तथा वर्तमान में <u>जर्जर/जीर्ण</u> शीर्ण अवस्था में है। उक्त स्थल पर नगर

ह0......महापौर

निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 570.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये पुराने भवन को तोड़कर उक्त स्थल को सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को **सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र** के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

प्रस्ताव संख्या–35

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 82 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना:

विशेष प्रस्ताव

श्री गोविन्द प्रसाद द्विवेदी, निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ के पत्र संख्या 01/पी0ए0/6–स्व0सं0सेनानी/12 दिनांक 6.11.12, जिसमें मा0 महापौर, कानपुर नगर को सम्बोधित करते हुये कानपुर नगर निगम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जलकर/भवनकर निःशुल्क किये जानें हेतु अनुरोध किया गया है । इसके क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(2) में निम्न व्यवस्था है :–

''**(निगम) राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है।**''

इस सन्दर्भ में कानपुर नगर निगम में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नगर निगम सीमा में एक आवासीय भवन हो और यह भवन नगर निगम कर निर्धारण सूची में उन्हीं के नाम अथवा उनकी विधवा के नाम अंकित हो तथा स्वयं निवासित हो, के उस भाग को सामान्य कर से मुक्त रखे जानें हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मा0 सदन के निर्णयानुसार प्रकरण राज्य सरकार को पुष्टि हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

ह0......महापौर

सभापति ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ–साथ युद्ध में शहीदों की विधवाओं एवं पूर्व सैनिक, जिनका शहर में एक आवास हो, उनके नाम अंकित हो तथा स्वनिवासित हो, को भी सम्मिलित करते हुये सामान्य कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

.... स्वीकृति प्रदान गई।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि मा0 महापौर के प्रस्ताव को सैन्य कर्मियों की विधवाओं के सन्दर्भ में शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। देश की सुरक्षा में लगे सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन, जिसमें वे स्वयं निवास कर रहे हों, गृहकर से मुक्त रहेंगे। इस हेतु गृहकर से मुक्त प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये छूट प्रदान की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या–36

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 83 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

जोन–5 सीमान्तर्गत वार्ड 98 जागेश्वर अस्पताल परिसर गोविन्द नगर एवं वार्ड 07 निराला नगर में स्थित नगर निगम की दुकाने मासिक किराये पर है जिसकी किराया वृद्धि का प्रस्ताव जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2012–13 में निर्धारित मासिक किराया के अनुसार वृद्धि का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने हेतु निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता हैः–

प्रस्ताव

दुकान का स्थल	दुकानों की /फ्लैटो की संख्या	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
जागेश्वर अस्पताल	40 दुकान	7.43	96.90	720	375.00	2786.25	1393.12

ह0......महापौर

परिसर गोविन्द नगर	02 दुकान 01 दुकान	5.57 5.20	96.94 96.92	540 504	375.00 375.00	2088.75 1950.00	1044.37 975.00
दीप सिनेमा के सामने निराला नगर	12 दुकान	11.15	64.57	720.00	375.00	4181.25	2090.62

.... स्वीकृति प्रदान गई।

प्रस्ताव संख्या–37

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 84 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना:

जोन–4

प्रस्ताव

दुकान का स्थल	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
बेनाझावर	5.95	11.72	69.75	400.00	198.33	99.16
साइकिल मार्केट परेड	9.29	12.10	112.40	450.00	348.37	174.18
फोर्ड मेकडोनाल्ड	13.94	1.29	17.98	300.00	348.50	174.25
बजरिया मार्केट	22.30	2.96	59.98	450.00	836.25	418.13
सीसामऊ बाजार	11.22	1.81	20.30	350.00	327.25	163.62
इन्दिरा मार्केट (सीसामऊ)	11.82	1.94	20.42	350.00	344.75	172.37

.... स्वीकृति प्रदान गई।

ह0......महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–38</u> <u>प्रस्ताव</u>

नगर निगम अधिनियम की धारा–174 (क) में अनावासीय सम्पत्तियों के कर निर्धारण की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए संशोधन किया गया है :–

<u>धारा–174.</u> वार्षिक मूल्य की परिभाषा– [(1) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है–(संशोधन के पूर्व)

[(क) रेलवे स्टेशनों,कालेजों,स्कूलों,छात्रावासों,कारखानों,वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्याकर्षण व्यय घटाने के पश्चात भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त के स्थान पर निम्न संशोधन किया गया है:–

<u>धारा–174.</u> वार्षिक मूल्य की परिभाषा– [(1) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है–(संशोधित)

1 ''(क) रेलवे स्टेशनों,कालेजों स्कूलों,होटलो,कारखानों,वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में नियम द्वारा निश्चित की गयी यथास्थिति,भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनो के प्रति वर्ग फुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य।''

उक्त धारा के अर्न्तगत नियमावली के गठन की कार्यवाही उ0प्र0 शासन द्वारा की जा रही है तथा इस हेतु नियमावली तैयार कर सरकारी गजट उ0प्र0 (आसधारण) दिनांक 08 जून 2010 द्वारा अधिसूचना जारी करने आपत्ति एवं सुझाव आंमत्रित किये गये थे। सन्दर्भित अधिसूचना साथ में संलग्न है। इसके अनुसार अनावासीय भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की निर्धारित दर के निम्नानुसार गुणांक में किये जाने का प्राविधान किया गया है।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, दुकाने और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल तीन स्टार तक के होटल निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान(राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को	उपनियम(1) के अधीन नियत दर का पॉच गुना

ह0......महापौर

	छोड़कर)	
2.	प्रत्येक प्रकार के क्लींनिक, पालीक्लीनिक,डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएँ, नर्सिंग होम चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का तीन गुना
3.	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम,शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमा गृह।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का दो गुना
4.	छात्रावास और शैक्षिणक संस्थान जो अधिनियम की धारा–177 के खण्ड(ग)के अधीन आच्छादित नहीं है।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर के समान
5.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का तीन गुना
6.	चार सितारा और उससे ऊपर के होटल,पब्स,बार वासगृह, जहॉ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का छः गुना
7.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह,विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का तीन गुना
8.	औद्योगिक इकाइयॉ (भवन और भूमि),सरकारी,अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का तीन गुना
9.	टावर और होर्डिग वाले भवन,टी0वी0टावर,दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का चार गुना
10.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणिया`में उल्लिखित नही है।	उपनियम(1)के अधीन नियत दर का तीन गुना

ह0......महापौर

चूँकि नगर निगम अधिनियम में संशोधन हो चुका है, अतः आवासीय भवनों के लिये निर्धारित मासिक किराया दर के उपरोक्तानुसार दिये गये गुणांक में जैसा कि अधिसूचना में प्रतिनिधानित है को अंगीकार करते हुए कर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे वैधानिक व्यवस्था के साथ–साथ अनावासीय सम्पत्तियों के भवन स्वामियों को भी आवासीय की भॉति स्वः कर निर्धारण करने का लाभ मिलेगा।

अतः अन्तिम गजट के प्रकाशन तक, उपरोक्तानुसार कार्यवाही का प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय सम्पत्तियों के सामान्य कर के निर्धारण हेतु स्वकर निर्धारण की पद्धति के अनुसार अनावासीय सम्पत्तियों की कर निर्धारण की व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु संशोधन किया गया है। पूर्व में अनावासीय सम्पत्तियों के कर निर्धारण में भूमि के मूल्य में निर्माण की लागत जोड़कर प्राप्त धनराशि में निर्धारित दर से सामान्य कर तय किया जाता था। इस संशोधन से करदाता स्वयं कर निर्धारण कर सकते है।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमावली बना ली गई होगी परन्तु सरकारी गजट अभी तक न होने के तथा मा0 कार्यकारिणी की बैठक से सम्बन्धित प्रस्ताव अग्रसारित न होने के कारण इस पर विचार किया जाना उचित नही होगा। अतः मेरा सुझाव है कि उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति होने एवं गजट प्रकाशन के बाद ही प्रक्रिया लागू की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन हो चुका है और अलीगढ़ एवं लखनऊ नगर निगम द्वारा इसे लागू भी किया जा चुका है। किस प्रकार कर निर्धारण किया जायेगा यह व्यवस्था नियमावली में दी जायेगी। नियमावली जब प्रकाशित होगी उसे ही अन्तिम माना जायेगा।

.... नगर निगम अधिनियम की धारा–174(1)(क) में हुये संशोधन, स्वकर निर्धारण से नागरिकों को प्राप्त होने वाली सुविधा एवं नगर निगम की आय के इस महत्वपूर्ण श्रोत को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा नियमावली के अन्तिम गजट के प्रकाशन तक प्रस्तावित नियमावली अंगीकार की जाती हैं।

ह0......महापौर

श्री चेतन चौहान ने कहा कि आठ–नौ माह का समय हो गया है, कोई विकास कार्य नही हो रहे है, सिर्फ रू0 25 लाख, रू0 10 लाख की पत्रावलियॉ तैयार किये जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। 25–25 हैण्डपम्प लगवाने एवं क्षेत्रों के विकास कराने हेतु आश्वस्त किया जाये अन्यथा यही धरने पर बैठ रहा हूॅ।

सभापति ने सभागार में उपस्थित सांसद श्री राजाराम पाल से अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री राजाराम पाल संसद सदस्य ने यथोचित सम्बोधन के उपरान्त कहा कि प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र में अपनी–अपनी समस्यायें है, यदि हंगामा किया गया तो उसका समाधान नही होगा। नगर निगम सदन शहर की समस्याओं को उठाने का एक उपयुक्त सदन है, उसके माध्यम से चर्चा कराते हुये सरकार से धन उपलब्ध कराने का प्रयास करना उपयुक्त होगा। आप लोगों द्वारा जो प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किये गये है, उनसें मैं भी सहमत हूॅ। सभी 110 वार्डो में लगभग 32 वार्ड प्राइवेट सोसाइटियों के अन्तर्गत आते है और जहॉ पर नगर निगम द्वारा कोई विकास कार्य नही कराया जाता है, इस पर मैं यह जानना चाहता हूॅ कि ऐसा कौन सा शासनादेश है जिसके तहत प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में विकास नही कराये जाते, नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया जाये। कानपुर नगर में चारो तरफ जाम की समस्या रहती है, अनेक क्षेत्रों में सड़कें खुदी पड़ी है, जगह–जगह यातायात में अवरोध है। सभापति आप जैसा निष्पक्ष एवं ईमानदार, जाति एवं धर्म से परे होकर आप द्वारा निर्णय लिये जाते है अतः आपसे अनुरोध है कि कानपुर नगर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कराया जाये। 32 वार्ड प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा बसाये गये है उनमें विकास कराया जाये और धन हेतु शासन से मॉग की जाये। प्रयास किया जाये कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्रों का नगर निगम में हस्तान्तरण कराया जाये, उसके उपरान्त ही उनसे गृहकर व सीवर कर वसूला जाये।

सभापति ने कहा कि श्री राजाराम पाल द्वारा दिया गया सुझाव उपयुक्त है, इसकों नगर निगम द्वारा व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि उचित होगा कि प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों के सम्बन्ध में शासन का दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाये। जहॉ तक पेयजल की समस्या के लिये सदस्यो द्वारा ध्यानाकर्षण कराया गया है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गिरते हुये भू–जल श्रोत को

ह0......महापौर

दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हैण्डपम्प व सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापन को सीमित कर दिया गया है, परन्तु क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थितियों में पूर्व में स्वीकृत एक–एक हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के पश्चात् आवश्यकतानुसार पुनः एक–एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन कराया जायेगा। क्षेत्र में खराब पड़े हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में भी क्षेत्रीय पार्षदों से कहा जा चुका है कि खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराकर व्यय धनराशि को जोनल कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक– 16.02.2013 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... सर्वसम्मति से आज दिनांकह–16.02.2013 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

तदोपरान्त राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0..................
(जगत वीर सिंह द्रोण)
सभापति／महापौर

ह0......महापौर

ह0......महापौर